(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश 1987, में —

(1) खंड 8 में, (क) से (ङ) तक की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"(क) जलसह (वाटरप्रूफ) (हाइड्रोफोबिक) सीमेंट 611.00 प्रति मीटरी टन की दर से;

(ख) जल्दी कड़ा होने वाला सीमेंट और निम्न ताप सीमेंट 602.00 रु. प्रति मीटरी टन की दर से ;

(ग) उच्च शक्ति वाला सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, जो भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा. मा. 8112–1976 के अनुरूप है, 602.00 रु. प्रति मीटरी टन की दर से ;

(घ) सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट 579.00 रु. प्रति मीटरी टन की दर से ;

(ङ) पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट और मेसनरी सीमेंट 564.00 रु. प्रति मीटरी टन की दर से" ;

(2) अनुसूची में, शीर्षक "कारखाने से चलते समय का मूल्य प्रति मीटरी टन (रुपयों में)" के नीचे :—

(क) मद (1) में "399.50 रु." अक्षर और अंकों के स्थान पर "446.50 रु." अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) मद 2 में "384.50 रु." अक्षर और अंकों के स्थान पर "431.50 रु." अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1 – 19/87 – सीमेंट]

आर. एन. बोहिदार, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 7th, September, 1988

ORDER

S. O. 850 (E).—In exercise of the powers conferred by section 18G and Section 25 of the Industries (Developpment and Regulation) Act, 1951 (65 of

1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely :—

1. (i) This Order may be called the Cement Control (Second Amendment) Order, 1988.

(ii) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Cement Control Order, 1987—

(i) In Clause 8, for entries (a) to (e), the following shall be substituted, namely :—

"(a) Water proof (hydrophobic) cement at Rs. 611.00 per metric tonne.

(b) Rapid hardening cement and low heat cement at Rs. 602.00 per metric tonne.

(c) high strength ordinary portland cement conforming to IS specification No. IS-8112-1976 at Rs. 602.00 per metric tonne.

(d) Ordinary portland cement and portland slag cement at Rs. 579.00 per metric tonne"

(e) Portland Pozzolana cement and masonry cement at Rs. 564.00 per metric tonne"

(ii) In the Schedule, under the heading "Exfactory price per metric tonne (in rupees)"

(a) In item (i), for the letters and figures "Rs. 399.50" the letters and figures "Rs. 446.50" shall be substituted.

(b) In item (ii), for the letters and figures "Rs. 384.50" the letters and figures "Rs. 431.50" shall be substituted.

[File No. 1-19|87-Cem.]

R. N. BOHIDAR, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 1988/भाद्रपद 16, 1910

No. 459] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1988/BHADRA 16, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1988

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(5) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5(3)(क) के अधीन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड-जंजीरा क्षेत्र में उद्योगों को प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिसूचना

का.आ. 851(अ).—केन्द्रीय सरकार को सूचना मिली है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड-जंजीरा क्षेत्र में कतिपय उद्योग स्थापित करने की प्रस्थापना की गई है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि इन उद्योगों की स्थापना करने में प्राकृतिक वनस्पति को हटाना, पहाड़ी प्राकृति को काटना और समतल बनाना, समुद्र में बहिस्रावों का विसर्जन करना, आस-पास के ऐतिहासिक संस्मारकों को क्षति पहुंचाना और उस क्षेत्र में साधारण पर्यावरणीय अवनति होना अन्तर्ग्रस्त होगा;

और केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि ऐसे सभी उद्योगों के स्थानों पर, जो रेवदण्डा क्रीक (19° 35' अक्षांश) से देवगढ़ लाइटहाउस (श्रीवर्धन के निकट) 18° 0' अक्षांश) तक उच्च ज्वार चिन्ह से एक किलोमीटर की पट्टी में और राजपुरी क्रीक से उत्तरी किनारे के साथ-साथ म्हासाला तक एक किलोमीटर की पट्टी में प्रचालन या प्रक्रियाएं चलाए हुए हैं, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1086 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) के प्रतिषेध अधिरोपित करना समीचीन है, उन उद्योगों, प्रचालनों या प्रक्रियाओं के सिवाय, जो पर्यटन की अभिवृद्धि और विकास के संबंध में की जा रही है और जिन्हें पर्यावरणीय प्रभाव की परीक्षा के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किया गया है;

अतः, अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसा प्रतिषेध अधिरोपित किए जाने के विरुद्ध आक्षेप दर्ज कराने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिन के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लिखित रूप में ऐसा कर सकता है।

[संख्या जे.-19011/30/86-आई.ए.]